न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 86/2019

1 खेताराम पुत्र धुकल
2 दशरथ पुत्र बलदेवा (दौराने अपील मृतक)
2/1 सन्तरा देवी पत्नी स्व. दशरथ
2/2 योगेन्द्र पुत्री स्व. दशरथ
2/3 अनिल पुत्र स्व. दशरथ
3 दाताराम पुत्र बलदेवा
4 रणवीर पुत्र बलदेवा
जाति जाट निवासी बास बिशना तहसील उदयपुरवाटी व नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 रामप्यारी स्त्री मालराम
2 महावीर सिंह पुत्र मालाराम (दौराने अपील मृतक)
2/1 अनिता पत्नी स्व. महावीर सिंह
2/2 नितु पुत्री स्व. महावीर सिंह
3 बजरंग पुत्र नरसा
4 हरीराम पुत्र नरसा
5 फुलाराम पुत्र नरसा (दौराने अपील मृतक)
5/1 शारदा देवी पत्नी स्व. फूलाराम
5/2 दीपक पुत्र स्व. फुलाराम
5/3 सरोज पुत्री स्व. फुलाराम
6 गुरूदयाल पुत्र लिखमा
7 सरदाराराम पुत्र लिखमा

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 प्रहलाद पुत्र लिखमा
9 मालाराम पुत्र लिखमा
10 श्यामा पुत्र हेमराज (दौराने अपील मृतक)
10/1 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. श्यामा
10/2 फुलचन्द पुत्र स्व. श्यामा
10/3 महिपाल पुत्र स्व. श्यामा
10/4 रामसिंह पुत्र स्व. श्यामा
10/5 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्यामा
जाति जाट निवासी बास बिशना तहसील उदयपुरवाटी व नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
11 झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुन्झुनू शाखा गुढ़ागौड़जी
12 तहसीलदार भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 05.08.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
वाद पत्र बाबत घोषणार्थ व स्थाई व्यादेश
बमुकदमा उनवानी मालाराम आदि बनाम
बजरंग आदि मु.नं. 121/2010

उपस्थिति :

1. श्री यशवीर लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 6.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 121/2010 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई व्यादेश बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 317 जिसके नये खसरा नम्बर 141, 142, 143, 163, 165, 151/1 जिसके अब नये खसरा नम्बर 650, 651, 652, 653, 670/1 व 708/650 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाये अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो सही नहीं है। पक्षकार प्रार्थना पत्र अ. आदेश 22 नियम 1 व 2 तथा 9 सीपीसी 6 माह बाद लगाया जबकि 90 दिन में देना चाहिए था इसलिए भी प्रार्थना पत्र अबेट होने से वाद खारिज हो गया था खारिज नहीं किया इसलिए गलती कानूनी की है। ग्राम बास बिशना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 317 जिसके पहले नया खसरा नम्बर 141, 142, 143, 163, 165 तथा 151/1 जिसके अब नये खसरा नम्बर 650, 651, 652, 653, 670/1 तथा 708/650 रकबा क्रमशः 2.47, 1.37, 0.55, 0.52, 0.04 व 0.33 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.23 हैक्टेयर अवस्थित है पर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 10 की कब्जा काश्त की पैतृक भूमि है उक्त भूमि में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 10 के पिता का भाई स्व. बलदेवा व धुकल पुत्र रामरख काश्त करता था तथा अब अपीलान्टगण काश्त करते है। जिसमें रेस्पोडेन्टगण नम्बर 1 व 2

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा बिना कब्जा काश्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टगण को साक्ष्य का मौका नहीं दिया गया तथा न ही समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा जेर अपील अपूर्णतया अतार्किक नोन स्पीकिंग निर्णय की परिभाषा में नहीं आने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि अधिकारों का निर्धारण इस प्रकार के समरी प्रोसिडिंग के माध्यम से नहीं हो सकता है बल्कि उन्हें नियमित राजस्व वाद की तरह किया जाना चाहिए इस कारण भी विचारण न्यायालय का निर्णय/आदेश पूर्णतया कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम बास बिसना पटवार हल्का भाटीवाड़ की सरहद में नये भूमि खसरा नम्बर 650, 651, 652, 653, 670/1, 708650 तथा रकबा क्रमशः 2.47, 1.37, 0.55, 0.52, 0.04, 0.33 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.28 हैक्टेयर अवस्थित है, वर्णित भूमि के 1/8 हिस्से का नामान्तकरण वादी के पिता श्योनाथ के नाम से तथा 1/8 हिस्से का नामान्तकरण रामरख पुत्र हुक्मा के नाम से दिनांक 08.03.1960 को दर्ज किया गया था लेकिन उक्त नामान्तकरण के अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम नहीं हुआ। कायम किये गये राजस्व रिकार्ड में रामरख पुत्र हुक्मा के वारिसान के नाम से 1/8 भमि के बजाय 1/4 दर्ज कर दी गई तथा वादी के पिता श्योनाथ का हिस्सा 1/8 दर्ज होना चाहिए था लेकिन वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श 5, 6, 7, 8 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि के 1/8 हिस्से पर वादी के पिता श्योनाथ का कब्जा काश्त रहा है इस प्रकार वाद पत्र स्वीकार कर विचारण न्यायालय

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बास बिसना पटवार हल्का भाटीवाड़ की सरहद में नये भूमि खसरा नम्बर 650, 651, 652, 653, 670/1, 708650 तथा रकबा क्रमशः 2.47, 1.37, 0.55, 0.52, 0.04, 0.33 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.28 हैक्टेयर अवस्थित है, वर्णित भूमि के 1/8 हिस्से का नामान्तकरण वादी के पिता श्योनाथ के नाम से तथा 1/8 हिस्से का नामान्तकरण रामरख पुत्र हुक्मा के नाम से दिनांक 08.03.1960 को दर्ज किया गया था लेकिन उक्त नामान्तकरण के अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम नहीं हुआ। कायम किये गये राजस्व रिकार्ड में रामरख पुत्र हुक्मा के वारिसान के नाम से 1/8 भमि के बजाय 1/4 दर्ज कर दी गई तथा वादी के पिता श्योनाथ का हिस्सा 1/8 दर्ज होना चाहिए था लेकिन वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श 5, 6, 7, 8 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि के 1/8 हिस्से पर वादी के पिता श्योनाथ का कब्जा काश्त रहा है इस प्रकार वाद पत्र स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर